रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-एम.एच.-अ.-01072020-220315
CG-MH-E-01072020-220315

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 244]	नई दिल्ली, बुधवार, जुलाई 1, 2020/आषाढ़ 10, 1942
No. 244]	NEW DELHI, WEDNESDAY, JULY 1, 2020/ASADHA 10, 1942

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड

अधिसूचना

मुम्बई, 1 जुलाई, 2020

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड

(शेयरों का पर्याप्त अर्जन और अधिग्रहण) (तीसरा संशोधन) विनियम, 2020

सं.सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2020/20.—बोर्ड, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 (1992 का 15) की धारा 30 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्वारा भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (शेयरों का पर्याप्त अर्जन और अधिग्रहण) विनियम, 2011 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात्:-

1. इन विनियमों को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (शेयरों का पर्याप्त अर्जन और अधिग्रहण) (तीसरा संशोधन) विनियम, 2020 कहा जा सकेगा ।
2. वे राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त (लागू) होंगे ।
3. भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (शेयरों का पर्याप्त अर्जन और अधिग्रहण) विनियम, 2011 में,-

I. विनियम 17 में, उप-विनियम (1) में, मौजूदा परंतुक के पश्चात्, निम्नलिखित नया परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्, -

"परंतु यह और कि जिन अप्रत्यक्ष अर्जनों के संबंध में इन विनियमों के विनियम 13 के उप-विनियम (2) के खंड (ङ) के अनुसार सार्वजनिक घोषणा की गई हो, उनके मामले में खुले प्रस्ताव (ओपन ऑफर) के संबंध में देय प्रतिफल (कन्सिडरेशन) के शत-प्रतिशत के बराबर की रकम निलंब खाते (एस्क्रो अकाउंट) में जमा कराई जाएगी ।"

II. विनियम 17 में, उप-विनियम (3) में, खंड (ग) में, मौजूदा परंतुक के पश्चात्, निम्नलिखित नया परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्, -

"परंतु यह और कि जिन अप्रत्यक्ष अर्जनों के संबंध में इन विनियमों के विनियम 13 के उप-विनियम (2) के खंड (ङ) के अनुसार सार्वजनिक घोषणा की गई हो, उनकी बाबत प्रतिभूतियाँ (सिक्यूरिटीज़) जमा कराने की अनुमति नहीं होगी ।"

III. विनियम 18 में, उप-विनियम (11) के पश्चात्, निम्नलिखित नया उप-विनियम अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्, -

"(11क) उप-विनियम (11) पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, यदि अर्जनकर्ता ऐसे शेयरधारकों को भुगतान नहीं कर पाता है जिन्होंने ऐसी अवधि के भीतर खुला प्रस्ताव (ओपन ऑफर) स्वीकार कर लिया हो, तो ऐसे में अर्जनकर्ता जितनी अवधि की देरी हुई हो उतनी अवधि हेतु, प्रतिवर्ष दस प्रतिशत की दर से, उन सभी शेयरधारकों को ब्याज अदा करेगा जिनके शेयर खुले प्रस्ताव में स्वीकार कर लिए गए हों:

परंतु यह कि यदि देरी अर्जनकर्ता द्वारा कुछ करने या कुछ न करने की वजह से न हुई हो, अथवा ऐसे कारणों या परिस्थितियों की वजह से हुई हो जो अर्जनकर्ता के नियंत्रण से परे हों, तो ऐसे में बोर्ड ब्याज अदा करने से छूट प्रदान कर सकेगा:

परंतु यह और कि ब्याज अदा किए जाने से बोर्ड द्वारा इन विनियमों के विनियम 32 के तहत या अधिनियम के तहत की जाने वाली किसी कार्रवाई पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा ।"

IV. विनियम 22 में, उप-विनियम (2क) में, शब्दों तथा चिह्नों "उप-विनियम (1) में दी हुई किसी बात के होते हुए भी, अर्जनकर्ता अधिमानी निर्गम के माध्यम से या स्टॉक एक्सचेंज निपटान प्रक्रिया के माध्यम से, बल्क डीलों या ब्लॉक डीलों के माध्यम से भिन्न, लक्षित कंपनी के शेयरों को अर्जित कर सकेगा, इसके अध्यधीन कि" के लिए, शब्द तथा चिह्न "उप-विनियम (1) में दी हुई किसी बात के होते हुए भी, अर्जनकर्ता अधिमानी निर्गम (प्रेफरेंशियल इश्यू) के माध्यम से या स्टॉक एक्सचेंज की निपटान प्रक्रिया (सेटलमेंट प्रोसेस) के माध्यम से लक्षित कंपनी (टार्गेट कंपनी) के शेयर अर्जित कर सकेगा, बशर्ते कि" प्रतिस्थापित हो जाएँगे ।

अजय त्यागी, अध्यक्ष

[विज्ञापन III/4/असा./104/2020-21]

पाद टिप्पण:

1. भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (शेयरों का पर्याप्त अर्जन और अधिग्रहण) विनियम, 2011, सं. एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2011-12/24/30181, 23 सितम्बर 2011 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे ।
2. भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (शेयरों का पर्याप्त अर्जन और अधिग्रहण) विनियम, 2011 तत्पश्चात् :

क) 26 मार्च, 2013 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (शेयरों का पर्याप्त अर्जन और अधिग्रहण) (संशोधन) विनियम, 2013, सं. एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2012-13/36/7368, द्वारा

ख) 8 अक्तूबर, 2013 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड {संस्थागत व्यापारिक (ट्रेडिंग) प्लेटफार्म पर विनिर्दिष्ट प्रतिभूतियों की सूचीबद्धता} विनियम, 2013, सं. एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2013-14/28/6720, द्वारा

ग) 23 मई, 2014 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (फीस का संदाय) (संशोधन) विनियम, 2014, सं. एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2014-15/03/1089, द्वारा

घ) 24 मार्च, 2015 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (शेयरों का पर्याप्त अर्जन और अधिग्रहण) (संशोधन) विनियम, 2015, सं. एल.ए.डी.-एन.आर.ओ/जी.एन./2014-15/28/542, द्वारा

ङ) 5 मई, 2015 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (शेयरों का पर्याप्त अर्जन और अधिग्रहण) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2015, सं. सेबी.एन.आर.ओ./ ओ.आई.ए.इ./जी.एन./2015-16/004, द्वारा

च) 14 अगस्त, 2015 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (शेयरों का पर्याप्त अर्जन और अधिग्रहण) (तीसरा संशोधन) विनियम, 2015, सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2015-16/009, द्वारा

छ) 22 दिसम्बर, 2015 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (शेयरों का पर्याप्त अर्जन और अधिग्रहण) (चौथा संशोधन) विनियम, 2015, सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2015-16/026, द्वारा

ज) 17 फरवरी, 2016 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (शेयरों का पर्याप्त अर्जन और अधिग्रहण) (संशोधन) विनियम, 2016, सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2015-16/035, द्वारा

झ) 25 मई, 2016 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (शेयरों का पर्याप्त अर्जन और अधिग्रहण) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2016, सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2016-17/002, द्वारा

ञ) 6 मार्च, 2017 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (फीस का भुगतान और भुगतान का माध्यम) (संशोधन) विनियम, 2017, अधिसूचना सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2016-17/037 (तारीख 29 मार्च, 2017 की अधिसूचना सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2016-17/038 के साथ पठित) द्वारा

ट) 14 अगस्त, 2017 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (शेयरों का पर्याप्त अर्जन और अधिग्रहण) (संशोधन) विनियम, 2017, सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2017-18/015, द्वारा

ठ) 1 जून, 2018 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (शेयरों का पर्याप्त अर्जन और अधिग्रहण) (संशोधन) विनियम, 2018, सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2018/20, द्वारा

ड) 11 सितम्बर, 2018 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (शेयरों का पर्याप्त अर्जन और अधिग्रहण) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2018, सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2018/33, द्वारा

ढ) 31 दिसम्बर, 2018 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (शेयरों का पर्याप्त अर्जन और अधिग्रहण) (तीसरा संशोधन) विनियम, 2018, सं. सेबी/एलए.डी.एन.आर.ओ./जी.एन./2018/55, द्वारा

ण) 29 मार्च, 2019 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (शेयरों का पर्याप्त अर्जन और अधिग्रहण) (संशोधन) विनियम, 2019, सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2019/06, द्वारा

त) 29 जुलाई, 2019 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (शेयरों का पर्याप्त अर्जन और अधिग्रहण) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2019, सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2019/27, द्वारा

थ) 17 अप्रैल, 2020 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (रेग्यूलेटरी सैंडबॉक्स) (संशोधन) विनियम, 2020, सं. सेबी/एल.ए.डी.-एनआरओ/जीएन/2020/10, द्वारा

द) 16 जून, 2020 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (शेयरों का पर्याप्त अर्जन और अधिग्रहण) (संशोधन) विनियम, 2020, सं. सेबी/एलएडी-एनआरओ/जीएन/2020/14/, द्वारा

ध) 22 जून, 2020 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (शेयरों का पर्याप्त अर्जन और अधिग्रहण) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2020, सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2020/19/, द्वारा

संशोधित हुए थे ।

SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA

NOTIFICATION

Mumbai, the 1st July, 2020

SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA (SUBSTANTIAL ACQUISITION OF SHARES AND TAKEOVERS) (THIRD AMENDMENT) REGULATIONS, 2020

SEBI/LAD-NRO/GN/2020/20.—In exercise of the powers conferred under section 30 of the Securities and Exchange Board of India Act, 1992 (15 of 1992), the Board hereby makes the following Regulations to further amend the Securities and Exchange Board of India (Substantial Acquisition of Shares and Takeovers) Regulations, 2011, namely:-

1. These regulations may be called the Securities and Exchange Board of India (Substantial Acquisition of Shares and Takeovers) (Third Amendment) Regulations, 2020.

2. They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

3. In the Securities and Exchange Board of India (Substantial Acquisition of Shares and Takeovers) Regulations, 2011,-

I. I. In regulation 17, in sub-regulation (1), the following new proviso shall be inserted after the existing proviso, namely, –

“**Provided further** that in case of indirect acquisitions where public announcement has been made in terms of clause (e) of sub-regulation (2) of regulation 13 of these regulations, an amount equivalent to hundred per cent of the consideration payable in the open offer shall be deposited in the escrow account.”

II. In regulation 17, in sub-regulation (3), in clause (c), the following new proviso shall be inserted after the existing proviso, namely,-

“**Provided further** that the deposit of securities shall not be permitted in respect of indirect acquisitions where public announcement has been made in terms of clause (e) of sub-regulation (2) of regulation 13 of these regulations.”

III. In regulation 18, after sub-regulation (11), the following new sub-regulation shall be inserted, namely,-

“(11A) Without prejudice to sub-regulation 11, in case the acquirer is unable to make payment to the shareholders who have accepted the open offer within such period, the acquirer shall pay interest for the period of delay to all such shareholders whose shares have been accepted in the open offer, at the rate of ten per cent per annum

Provided that in case the delay was not attributable to any act of omission or commission of the acquirer, or due to the reasons or circumstances beyond the control of acquirer, the Board may grant waiver from the payment of interest.

Provided further that the payment of interest would be without prejudice to the Board taking any action under regulation 32 of these regulation or under the Act.”

IV. In regulation 22, in sub-regulation (2A), the words “other than through bulk deals or block deals,” shall be omitted.

AJAY TYAGI, Chairman

[ADVT.-III/4/Exty./104/2020-21]

Footnotes:

1. The SEBI (Substantial Acquisition of Shares and Takeovers) Regulations, 2011 were published in the Gazette of India on 23rd September, 2011 vide No. LAD-NRO/GN/2011 12/24/30181.

2. SEBI (Substantial Acquisition of Shares and Takeovers) Regulations, 2011 was subsequently amended on:

a) March 26, 2013 by the SEBI (Substantial Acquisition of Shares and Takeovers) (Amendment) Regulations, 2013 vide No. LAD-NRO/GN/2012 13/36/7368.

b) October 8, 2013 by the SEBI (Listing of Specified Securities on Institutional Trading Platform) Regulations, 2013 vide No. LAD-NRO/GN/2013-14/28/6720.

c) May 23, 2014 by the SEBI (Payment of Fees) (Amendment) Regulations, 2014 vide Notification No. LAD-NRO/GN/2014-15/03/1089.

d) March 24, 2015 by the SEBI (Substantial Acquisition of Shares and Takeovers) (Amendment) Regulations, 2015 vide No. LAD-NRO/GN/2014-15/28/542.

e) May 5, 2015 by the SEBI (Substantial Acquisition of Shares and Takeovers) (Second Amendment) Regulations, 2015 vide No. SEBI/LAD-NRO/OIAE/GN/2015-16/004

f) August 14, 2015 by the SEBI (Substantial Acquisition of Shares and Takeovers) (Third Amendment) Regulations, 2015 vide No. SEBI/LAD NRO/GN/2015-16/009.

g) December 22, 2015 by the SEBI (Substantial Acquisition of Shares and Takeovers) (Fourth Amendment) Regulations, 2015 vide No. SEBI/LAD-NRO/GN/2015-16/026.

h) February 17, 2016 by the SEBI (Substantial Acquisition of Shares and Takeovers) (Amendment) Regulations, 2016 vide No. SEBI/LAD-NRO/GN/2015-16/035.

i) May 25, 2016 by the SEBI (Substantial Acquisition of Shares and Takeovers) (Second Amendment) Regulations, 2016 vide No. SEBI/ LAD-NRO/GN/2016-17/002.

j) March 6, 2017 by SEBI (Payment of Fees and Mode of Payment) (Amendment) Regulations, 2017 vide No. SEBI/LAD/NRO/GN/2016-17/037 read with notification dated March 29, 2017 vide No. SEBI/LAD/NRO/GN/2016-17/38.

k) August 14, 2017 by SEBI (Substantial Acquisition of Shares and Takeovers) (Amendment) Regulations, 2017 No. SEBI/LAD-NRO/GN/2017-18/015.

l) June 01, 2018 by SEBI (Substantial Acquisition of Shares and Takeovers) (Amendment) Regulations, 2018 No. SEBI/LAD-NRO/GN/2018/20.

m) September 11, 2018 by SEBI (Substantial Acquisition of Shares and Takeovers) (Second Amendment) Regulations, 2018 No. SEBI/LAD-NRO/GN/2018/33.

n) December 31, 2018 by SEBI (Substantial Acquisition of Shares and Takeovers) (Third Amendment) Regulations, 2018 No. SEBI/LAD-NRO /GN/ 2018/55.

o) March 29, 2019 by SEBI (Substantial Acquisition of Shares and Takeovers) (Amendment) Regulations, 2019 No. SEBI/LAD-NRO /GN/ 2019/06.

p) July 29, 2019 by SEBI (Substantial Acquisition of Shares and Takeovers) (Second Amendment) Regulations, 2019 No. SEBI/LAD-NRO /GN/ 2019/27.

q) April 17, 2020 by SEBI (Regulatory Sandbox) (Amendment) Regulations, 2020 No. SEBI/LAD-NRO/GN/2020/10.

r) June 16, 2020 by SEBI (Substantial Acquisition of Shares and Takeovers) (Amendment) Regulations, 2020 No. SEBI/LAD-NRO /GN/ 2020/14.

s) June 22, 2020 by SEBI (Substantial Acquisition of Shares and Takeovers) (Second Amendment) Regulations, 2020 No. SEBI/LAD-NRO /GN/ 2020/19.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. ALOK KUMAR Digitally signed by ALOK KUMAR Date: 2020.07.01 21:23:55 +05'30'